-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना पैलानी पुलिस टीम द्वारा अंतर्जनपदीय एटीएम मशीन काटकर/छेड़छाड़ कर रुपये चोरी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को एटीएम मशीन काटकर/छेड़छाड़ कर चोरी की योजना बनाते समय किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, एटीएम मशीन काटने/छेड़छाड़ करने की भारी मात्रा में उपकरण सहित नगद रुपये व चारपहिया वाहन बरामद।**
- **अभियुक्तो द्वारा कुछ माह पूर्व कानपुर नगर में बैंक आफ बड़ौदा की एटीएम मशीन काटकर/छेड़छाड़ कर 1.38 करोड़ रुपये की, की गई थी चोरी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के निकट पर्यवेक्षण में थाना पैलानी पुलिस टीम द्वारा अंतर्जनपदीय एटीएम मशीन काटकर/छेड़छाड़ कर रुपये चोरी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 26/27.06.2025 की रात्रि को थाना पैलानी पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्ति ग्राम नरी के पास एक चारपहिया वाहन में मौजूद तथा कहीं चोरी करने की योजना बना रहे है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा टीम के साथ मौके पर जाकर घेराबन्दी कर सभी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से अवैध तमंचे, जिन्दा कारतूस तथा चारपहिया वाहन में लोहे के सब्बल, हथौड़ी, पेचकस, ग्राइंडर मशीन आदि बरामद हुए। अभियुक्तों से पूछताछ में पाया गया कि सभी अभियुक्त गिरोह बनाकर कानपुर व आस-पास के जनपदों में एटीएम मशीन काटकर/छेड़छाड़ कर रुपये चोरी करते है तथा आज रात्रि में पैलानी कस्बे में एटीएम मशीन काटकर/छेड़छाड़ कर चोरी करने की योजना बना रहे थे। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्तों ने बताया कि उन लोगों द्वारा कुछ दिनों पूर्व मार्च/अप्रैल माह में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कानपुर नगर के किदवई नगर से बैंक आफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर करीब 01 करोड़ 38 लाख रुपये की चोरी की गई, जिसमें कानपुर नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को दिनांक 18.06.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त अंकित त्रिपाठी व आशीष त्रिपाठी दोनों वांछित है तथा सगे भाई है। इस सम्बन्ध में और भी जानकारी जा रही है कि अभियुक्तों द्वारा और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तथा घटना के प्रत्येक कड़ी को जोड़कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अवैध तमंचे, जिन्दा कारतूस, एटीएम काटने के उपकरण सहित घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन को कब्जे में लेकर थाना पैलानी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 07 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 चारपहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर (घटना में प्रयुक्त)
- एटीएम मशीन काटने/छेड़छाड़ करने के उपकरण (लोहे की सब्बल, लोहे की ब्लेड, हथौड़ी, पेचकस, प्लास, टार्च, ग्राइंडर मशीन आदि) व 13194 रुपए नगद (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकित त्रिपाठी उर्फ गोलू पुत्र रामकेश त्रिपाठी निवासी हथूमा थाना डेरापुर जनपद कानपुर नगर।
2. आशीष त्रिपाठी पुत्र रामकेश त्रिपाठी निवासी हथूमा थाना डेरापुर जनपद कानपुर नगर।
3. अंकित सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी सीओडी कालोनी कोयला नगर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।
4. विनय कुमार त्रिपाठी पुत्र रामकिशोर त्रिपाठी निवासी हथूमा थाना डेरापुर जनपद कानपुर नगर।
5. अभाष शुक्ला पुत्र ओम प्रकाश शुक्ला निवासी चाँदथोक थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 159/25 धारा 313/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 131/25 धारा 318(4)/334(1)/305(E)/317(2)/112/3(5) बीएनएस थाना किदवई नगर, कानपुर।